न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–407/2026
उत्पन्न उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या :–50/2026

1. सोनी कुमारी उर्फ नन्दिता कुमारी उम्र लगभग 25 वर्ष पिता– राजेश कुमार उर्फ पवन यादव

2. स्वीटी देवी उम्र लगभग 40 वर्ष पति–रंजन यादव

दोनो साकिन–पिपरा करोटी, वार्ड नं0–02, थाना–उदाकिशुनगंज, जिला–मधेपुरा।

–आवेदिकागण/अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार – विपक्षी

अग्रिम जमानत आदेश

15–05–2026

आवेदिकागण सोनी कुमारी उर्फ नन्दिता कुमारी एवं स्वीटी देवी का अग्रिम जमानत आवेदन जो उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या–50/2026 अन्तर्गत धारा– 69, 105, 140(1), 3(5), 103(1), 238, 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता से संबंधित है, विद्वान अधिवक्ता श्री मो0 इशतियाक रहमानी द्वारा आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदिकागण बिल्कुल निर्दोष है जिन्होने ऐसा घटना कारित नहीं किया जैसा उनके विरूद्व आरोप लगाया है। आवेदिकाओं को द्वेष तथा दुर्भावना के कारण झुठे मुकदमा में फंसाया गया है तथा आवेदिका के विरूद्व लगाए गए सभी आरोप अविश्सनीय तथा झूठे हैं। प्रस्तुत मामले में आवेदिकाओं के विरूद्व किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है, इसलिए उसके विरूद्व उक्त लगाए गए धाराओ का अभियोग नहीं बनता है। विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि पुलिस अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई है कि सूचक तथा उसके परिवार वालों द्वारा अलका कुमारी की हत्या कारित किया गया है तथा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, परंतु इसके विपरीत अभियोजन पक्ष के सदस्यों पर ही मामला बनाकर निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसा दिया गया। आगे कथन करते हैं कि यह मानना अपितु असंभव है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त ऋतुराज तथा मृत्तका अलका कुमारी के बीच अवैध संबंध की जानकारी नहीं थी, यदि संबंध सत्य भी होता तो आवेदिकाओं के विरूद्व अभियोग नहीं बनता है। जहाँ तक नवजात शिशु को लेकर भागने के आरोप का सवाल है वह भी उनके विरूद्व नहीं है। प्रार्थी महिलाएं हैं तथा सहानुभूति की पात्र है अतः आवेदिकाओं को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाए।

Satish Kumar
15.05.26

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

–लगातार

न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–407 / 2026
उत्पन्न उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या :–50 / 2026
–2–

लगातार
15–05–26

– अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि सूचक की पुत्री अलका कुमारी को ऋृशुराज उर्फ बाबू ने शादी का झांसा व बहला–फुसलाकर अवैध संबंध बना लिया जिससे अलका गर्भवती हो गई, जिसका कोई जानकारी नहीं सूचक व परिवार के लोगो को नही हो सका। दिनांक 12.02.2026 को करीब 2 बजे अलका को ऋृशुराज अपनी बहन से अनुमंडल अस्पताल हरैली लेकर आया और भर्ती करा दिया, जहाँ अलका ने एक बच्चे को जन्म दिया तथा इस जानकारी पर सूचक की पत्नी रश्मि एवं पुत्री आकांक्षा एवं दामाद विकास कुमार निजी वाहन से अस्पताल पहुँचे और देखा कि अलका बेहोशी की हालत में बेड पर पडी हुई है एवं ऋृशुराज, सोनी कुमारी उर्फ नंदिता, आशा देवी, स्वीटी देवी अलका के बच्चे को लेकर अस्पताल से भाग गया तथा अलका को बेहतर इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज ले जाने हेतु कुछ सामान लेने के लिए पुत्री के साथ घर आ रहे थे कि रास्ते मे अलका की मृत्यु हो गई। सूचक के पुत्री की मृत्यु का कारण उपरोक्त व्यक्ति के लापरवाही के कारण हुई है।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा–69, 105, 140(1), 3(5) बी0 एन0 एस0 के अन्तर्गत दर्ज की गई है। वाद मे धारा– 103(1), 238, 61(2), 3(5) बी0 एन0 एस0 का समावेश किया गया है। आवेदिकाओं के विरूद्व सूचक का अभियोग है कि सह–अभियुक्त ऋृशुराज की ये बहने हैं तथा ऋृशुराज ने सूचक की पुत्री मृत्तका अलका कुमारी को अपने झासा में लेकर संबंध बना लिया जिससे मृत्तका गर्भवती हो गई थी। उसे प्रसव हेतु अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया परंतु अधिक रक्तस्त्राव के कारण उसे रेफर कर दिया गया जिसे मेडिकल कॉलेज मधेपुरा लोने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। सूचक का अभियोग है कि आवेदिका समेत अन्य सह–अभियुक्त अस्पताल में मौजूद थे जो उसकी पुत्री को उपेक्षित छोड़ दिये जिससे उसकी मृत्यु हो गई तथा नवजात शिशु को भी ये लोग लेकर भाग गये।

कांड दैनिकी के पारा–6, 10, 11 एवं 25 में वादी तथा साक्षियों का बयान है जिसमें घटना का समर्थन किया गया है। लगाये गये अभियोग अत्यंत ही गंभीर प्रकृति के हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अभियोग की गंभीरता को देखते हुए आवेदिकाओं को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदिकाओं की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
Satish Kumar
15-05-26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।